

मांग संख्या 10

मुख्यशीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

न्यायालयीन आदेश के अनुसार अवार्ड राशि का भुगतान करने हेतु आकस्मिकता निधि से ₹492.33 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹4,92,32,883 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जंगल सफारी के न्यायालयीन प्रकरण के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 301.11 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 3,01,11,027 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 से 4

छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में अंतरण अंतर्गत ₹ 50000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 से 17

छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय हेतु ₹ 50000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।